

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020—ज्येष्ठ 29, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2020

क्र. ई-1-49-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाग्यसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाएं
गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विशेष गढ़पाले (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण, भोपाल।	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री अनय द्विवेदी (2010), अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनय द्विवेदी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किंदवई, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-63-2020-5-एक.—श्री कृष्णदेव त्रिपाठी, भाप्रसे (2012), अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से संयुक्त मुख्य निवाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निवाचन संबंधी कार्य के लिए) भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-70-2020-5-एक.—श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-325-2006-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-15-2006-AIS -(I), दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT:2001) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी।

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1317-15-2006-AIS -I (Pt.) दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा श्री मोहन लाल मीना की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग को लौटाने के निर्देश दिये थे, के अनुक्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT:2001) को उनके मूल संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया।

(3) श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT:2001) द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक, खण्डपीठ, जबलपुर में दायर विचाराधीन प्रकरण

C. P. No. 84/2019 में अंतरिम आदेश दिनांक 24 फरवरी 2020 पारित किया गया है जिसका operative अंश इस प्रकार हैं:—“We have considered the matter and direct both the respondent-contemners that petitioner should be allowed to join duty immediately and report compliance within 10 days. Futher, respondent-contemner No. 1 should ensure that the petitioner continuos to get his salary every month.” उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT:2001) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री मोहन लाल मीना द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के अंसवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2020

क्र. ई-1-68-2020-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अपर संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री सोनिया मीना द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के अंसवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2020

क्र. ई-1-72-2020-5-एक.—श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष कार्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ किया जाता है। इसके साथ-साथ श्री रेड्डी उपरोक्त प्रभार का कार्य पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे।

क्र. ई-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 27 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक, सत्ताईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2020

क्र. ई-1-59-2020-5-एक.—श्रीमती अरुणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल एवं संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से वि.क.अ.-सह-सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती अरुणा गुप्ता द्वारा वि.क.अ.-सह-सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत वि.क.अ.-सह-सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के असंवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2020

क्र. ई-1-76-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में

दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
------	---	----------------

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. श्री जितेन्द्र सिंह राजे (सिक्किम-2007), कलेक्टर, जिला कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन नीमच। एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार)। | कलेक्टर, जिला गुना। |
| 2. श्री एस. विश्वनाथन (2008), कलेक्टर, जिला हरदा। | कलेक्टर, जिला ग्वालियर। |
| 3. श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010), कलेक्टर, जिला विदिशा। | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन। |
| 4. श्री अनुराग चौधरी (2010), कलेक्टर, जिला ग्वालियर। | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन। |
| 5. श्री भास्कर लक्ष्मकार (2010), कलेक्टर, जिला गुना। | कलेक्टर, जिला विदिशा। |
| 6. डॉ. पंकज जैन (2012), संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल। | कलेक्टर, जिला हरदा। |
| 7. श्री अनुराग वर्मा (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। | |

क्र. ई-1-77-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
------	---	----------------

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- | | |
|---|--|
| 1. सुश्री जयति सिंह (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर। | |
|---|--|

(1)	(2)	(3)
2. सुश्री अंकिता धाकरे (2017), अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (राजस्व), राहतगढ़, सबलगढ़, जिला मुरैना.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (राजस्व), राहतगढ़, सबलगढ़, जिला सागर.	

क्र. ई-1-78-2020-5-एक.—श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे (2004), कलेक्टर, नीमच को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कमिशनर, सागर संभाग, सागर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अजय सिंह गंगवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), कलेक्टर, जिला सागर तथा कमिशनर, सागर संभाग, सागर (अतिरिक्त प्रभार) केवल कमिशनर, सागर संभाग, सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. ई-1-79-2020-5-एक.—श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे (2014), अपर कलेक्टर, जिला बैतूल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर कलेक्टर, जिला कटनी पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री साकेत मालवीय द्वारा अपर कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला कटनी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव,

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020

क्र. ई-5-990-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) को दिनांक 23 से 30 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2020

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 12 से 18 मार्च 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 11 मार्च 2020 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1021-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री हर्ष सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हर्ष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

क्र. एफ-5-01-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश	कुल	अवकाश का अभियुक्ति	
	अवधि	दिन	प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 19 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	—
			अवकाश.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाठने, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

क्र. एफ 1(ए) 20-2006-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक समन्वय, अअवि, पु. मु., भोपाल 24 मार्च से 2 मई 2020 तक, चालीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अस्सी दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2020

क्र. एफ-1(ए)4-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, सेनानी, 10वीं वाहिनी विस्बल, सागर को दिनांक 20 मई से 3 जून 2020 तक, पन्द्रह दिवस पितॄत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, (2014) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 10वीं वाहिनी विस्बल, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, (2014) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2020

फा. क्र. 1439-2020-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेश सिंह, 21वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु कार्यालय, कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल को सौंपता है।

फा. क्र. 1447-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, सीधी की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है।

पंजी क्र. 1450-2020-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं उनके कार्य सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2020

फा. क्र. 1448-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक

सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रत्लाम की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर. श्री मिश्रा वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ में शृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 11 जून 2020

फा. क्र. 2378-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 508-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 26 मई 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत निमानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री तनवीर अहमद खान, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	इंदौर	सागर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर.
2	श्री राम विलास गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.	सागर	बालाघाट	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट की हैसियत से श्री आनंद प्रिय राहुल के स्थान पर.
3	श्री सुरेन्द्र मेश्राम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैढ़न (सिंगरौली).	वैढ़न (सिंगरौली)	वैढ़न (सिंगरौली)	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैढ़न (सिंगरौली) की हैसियत से श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.
4	श्री प्रशांत कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.	विदिशा	विदिशा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा की हैसियत से श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2020

पंजी क्र. 1400-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अभिषेक गौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

पंजी क्र. 1531-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री पदमचंद गुप्ता की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

पंजी क्र. 1532-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राम प्रसाद सोनकर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. एफ-9-1-2016-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2)(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती शोभा ओझा, 1, कंचन बाग, मैन रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

(2) श्रीमती शोभा ओझा का मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि तक रहेगा।

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. एफ-9-1-2016-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2)(ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित को सदस्य नियुक्त किया जाता है:—

- (1) श्रीमती नीना सिंह, बी-166, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
- (2) श्रीमती जमुना मरावी, म. नं. 3294, सुदर्शन वार्ड, गनेशगंज रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
- (3) डॉ. शशि राजपूत, 16, आम्रपाली इंक्लेव, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.
- (4) श्रीमती संगीता शर्मा, बी-2, टेबल बे, ऑशिमा माल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.
- (5) श्रीमती शर्मिला एस. मोयदे, 44 जवाहर मार्ग, मंडलेश्वर तह. महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश.

2. उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के ठाकुर, उपसचिव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2020

क्र. एफ-2-11-2004-एस.एण्ड.टी.-इकतालीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के सेवा भर्ती के

नियम, 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत डॉ. (प्रो.) अनिल कोठारी, डायरेक्टर, सेण्टर फॉर यूनिवर्सिटी प्लेसमेण्ट, ट्रेनिंग एण्ड कॉर्पोरेट अफेयर्स, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के पद पर नियुक्त करता है। प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक् से जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव।

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

क्र. 3198-एफ-3-7-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री मंजीत सिंह, संचालक (वाणिज्य), मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58(जी) (i) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 21381/2017 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2020

क्र. एफ-2-11-2010-साठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

वल्लभ भवन-III, डी विंग, प्रथम तल, मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 जून 2020

क्र. एफ-31-12-2020-सत्ताईस-एक.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 4 (3) में जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल छः वर्ष नियत किया गया था।

2. मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 1305-17-इक्तीस-अ-(प्रा.), दिनांक 23 जनवरी 2020 द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 प्रकाशित किये गये हैं। संशोधित अधिनियम की धारा 4 (6) में जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कालावधि पांच वर्ष नियत की गई है।

3. विभाग के अधीन वर्तमान में जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है जबकि वर्ष 2020 में हुए संशोधन अनुसार यह कालावधि पांच वर्ष कर दी गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 32-18-2020-21-मध्यम-इक्तीस-24, दिनांक 6 मार्च 2020 में सभी विद्यमान जल उपभोक्ता संथाओं को तत्काल प्रभाव से विघटित किया गया है।

4. अतः, राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2020 सहपठित राजपत्र दिनांक 6 मार्च 2020 में किये गये संशोधन के अनुक्रम में राज्य

शासन एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के अधीन गठित ऐसी जल उपभोक्ता संथायें जिनकी कालावधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को विघटित करते हुए नवीन जल उपभोक्ता संथाओं का निर्वाचन/गठन होने तक, जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री (मैदानी) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है।

(ब) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के अधीन गठित ऐसी जल उपभोक्ता संथायें जिनका कि कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के पूर्व समाप्त हो गया है, उनके नवीन निर्वाचन/गठन होने तक जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री (मैदानी) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
“कचनार” पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 8 जून 2020

सूचना

क्र. 3038-अमृत-वि.यो.-नगरि-2020.—मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 पर आपत्ति या सुझाव 30 दिवस में आंमत्रित किये गये हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा चरणवार घोषित लॉकडाउन की अवधि में आमजनों की सामान्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने में आने वाली संभावित कठिनाइयों के दृष्टिगत

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3-बत्तीस-2020-18-5, दिनांक 4 जून 2020 के परिपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जाने की संशोधित अवधि वर्तमान में सतत् जारी लॉकडाउन की श्रृंखला में भोपाल के लिए घोषित अंतिम लॉकडाउन के अवसान होने के उपरान्त 30 दिवसों की होगी तथा तदानुसार अंतिम तिथि का निर्धारण मान्य होगा।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 6 मार्च 2020 की निरन्तरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाइट <http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. जिला कलेक्टर, भोपाल
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, म. प्र.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल या ई-मेल आई.डी. obj-sugg-bpl@mp.gov.in में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

NOTICE

No. 2038-Amrut. D.P.-04-TCP-2020.—Through a notification published on 6th March 2020 in the Madhya Pradesh Gazette, objections or suggestions on the draft Bhopal Development Plan, 2031 have been invited within 30 days under Section-18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Normal activities of the general public are restricted in the period of lockdowns declared phase-wise by the State Government due to Covid-19 epidemic. Therefore in view of the possible difficulties to the public in submitting objections or suggestions under the present circumstances, in pursuance of the order No. F-3-XXXII-2020-18-5, dated 4th June 2020 of Urban Development & Housing Department Govt. of M. P., Mantralaya, Bhopal, it is hereby notified that the amended period for submission of objections or suggestions on the said Draft shall be 30 days after the expiry of the last lockdown for Bhopal in the series of presently continuing lockdowns and accordingly, the determination of the last date will be valid.

In continuation of the said notice dated 6th March 2020, it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate <http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm> and at following offices during office hours namely:—

1. Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
2. Collector, District Bhopal
3. Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal
4. Joint Director, Town & Country Planning, District Office Bhopal, M. P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Bhopal or on E-mail I. D. obj-sugg-bpl@mp.gov.in before expiry of the stipulated period for due consideration.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क./भू-अर्जन-2019

दमोह, दिनांक 18 फरवरी 2020

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.

12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्य क्य नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म/लोक निर्माण विभाग दमोह को मनका से खागर हरदुआ तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम मनका से खागर हरदुआ मार्ग के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्य क्य नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्य की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहरत्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : मनका से खागर हरदुआ मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम : खागर 2.06 हे.,

आपसी सहमति से क्य की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
	खागर				
1	श्री जुगराज पिता लक्ष्मन गोड़	83/4	0.26	0.10	
2	श्री काशीराम पिता मलखान यादव	189	0.59	0.07	
3	केशर लाल रामदीन पिता भजन सींग	191	0.67	0.10	
4	श्री इमरत सींग पिता प्यारेलाल यादव	192/1	0.50	0.09	
5	श्री शोभाराम बूथवर मानसींग सोने सींग पिता छुट्ठि जीराबाई दोपतीबाई पिता छुट्ठि बाबूलाल शिवलाल हरीसींग हलकाई मुला बाई हल्काई	192/2 237/1	0.50 2.64	0.09 <u>0.48</u> <u>0.57</u>	
6	हमीर कौशल भोले हल्ले भाई पिता नथू फूलाबाई गोराबाई पुत्री नथू ननेभाई पिता बट्टू सा देह कमलाबाई पिता गोरेलाल सा गढ़कोटा सरु गोटीराम जिता केशरलाल प्रहलाद इनरत पिता नंदराम कस्तूरी बीना पुत्री नंदराम रामबाबू प्रियंका ना.वा.पिता कनई वली व खुद मौं शीशाबाई वेवा कनई।	193 226	0.49 0.52	0.10 <u>0.06</u> <u>0.16</u>	
7	श्री बाबूलाल पिता मनूलाल यादव	194/1	0.07	0.03	
8	श्री अनंतराम दयाराम वीरसींग पुट्टीबाई पिता राजाराम यादव	194/2	0.15	0.04	
9	श्रीराम पिता साहब सींग यादव	194/5 223	0.25 0.20	0.04 <u>0.06</u> <u>0.10</u>	

10	श्री कैलाश कौरेत पिता प्रताप कालबाई	194/7	0.05	0.03	
11	श्री नाथू राम पिता श्री राम यादव	218	0.34	0.04	
12	श्री परबोत्तम पिता नन्हूराम यादव	219/1	0.15	0.04	
13	श्री रामसींग पिता नन्हूराम यादव	219/2	0.15	0.04	
14	श्री जागेश नाथा. पिता बुद्धेसींग वली व खुद माँ मानबाई देवा बुद्धेसींग	227	0.40	0.08	
15	श्री पुरबोत्तम रामसींग पिता नन्हू लाल प्यारी बाई देवा नन्हू लाल नन्हू पिता सुगरलाल गोरी बाई पिता सुगरलाल	230	0.32	0.06	
16	श्री रामप्रसाद पिता भुजई रामदीन केसर पिता भजन सींग	231	0.36	0.09	
17	श्री रामचरण पिता मिट्ठू सींग यादव	233	1.34	0.09 (असिंचित)	
18	श्री दामोदर आमकार पिता कोमल	234	1.61	0.09	
19	श्री कमलसींग पिता हुकुम सींग सा. हिनोती रामगढ़	237/2	1.74	0.11	
20	श्री डोमन सींग पिता रामसींग रामबाई देवा रामसींग सा. सुहेला	238	1.07	0.13	
योग :-			14.37	2.06	

क्रमांक क./भू-अर्जन-2019

दमोह, दिनांक 8 मई 2020

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र.12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म/लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करेयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन से ग्राम धरमपुरा लिधोरा करेयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्यामी/भूस्यामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करेयाराख मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम : लिधोरा 1.73 हे.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्यामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अजित रकबा	अन्य सम्पत्ति
	लिधोरा				
1	श्रीमति कुसुम रानी पति रामदास रजक सा. धरमपुरा दमोह	207/5	0.36	0.05	
2	श्रीमति सुकरानी जोजे जमनाप्रसाद, औकार, भरत, गोविंद,	207/3/ क	0.55	0.02	
3	श्री बीमरन पिता परमसुख सा. दमोह	207/4/ क	0.59	0.02	
4	श्रीमति मनीशा पुत्री भीमसेन सा. दमोह	207/4/ ख	0.60	0.02	
5	श्री गोविंद पिता फूलचंद काढी सा. दमोह	190/3/1	0.25	0.01	
6	श्री लक्ष्मण पिता फूलचंद काढी सा. दमोह	190/3/2	0.25	0.02	
7	श्री बृजलाल पिता फूलचंद काढी सा. दमोह	190/3/3	0.26	0.01	
8	श्री लक्ष्मी पिता फूलचंद काढी सा. दमोह	190/3/4	0.26	0.02	

9	श्रीमति रानी फातमा पिता बाबर खान सा. धरमपुरा दमोह	202	0.05	0.05 (असिंचित)	
10	श्री मुन्नालाल, हेमराज पिता पंचकोड़ी घड़ार सा. सागर	203	0.05	0.04 (असिंचित)	
11	रानी फातमा पति बाबर खान सा. धरमपुरा दमोह	204	0.09	0.04 (असिंचित)	
12	श्रीमति रामरानी पति रामकिशुन कुर्मी सा. देह	199/1	3.83	0.05	
13	श्री बाबूलाल पिता नाथूराम कुर्मी सा. देह	199/2	2.30	0.13	
14	श्री दुर्गप्रसाद पिता रामदास कुर्मी सा. देह	178	0.75	0.05	
15	श्री बालकृष्ण पिता बाबूलाल अदया सा. देह	177	0.04	0.02 (असिंचित)	
16	श्री नन्नेमाई पिता रामदास कुर्मी सा. देह	175	0.75	0.01	
17	श्री हरप्रसाद पिता रामदास कुर्मी सा. देह	164	0.17	0.02	
18	श्रीमति सरवती बेगम पति शौकत खान सा. दमोह	163	0.59	0.01	
19	श्री भरत शरद पिता बालकृष्ण अदया सा. दमोह	160/1	0.57	0.05	
20	श्रीमति नूरजहाँ बेगम पिता मुस्तफा खान सा. दमोह	161	0.84	0.03	
	अवधरानी बेवा मोहन अदया यगे—सा. दमोह	42	0.36	0.02	
22	श्रीमति पूजा सुदामा पति कुर्मी सा. धरमपुरा दमोह	41	0.64	0.10	
23	श्री दीपक पिता बाबूलाल कुर्मी सा. देह	112/1	0.46	0.05	
24	श्री प्रशान्त पिता के.एल.पटेल सा. दमोह	62/4	0.20	0.02	
25	श्री भूरे पिता महिम अदया सा. दमोह	62/3	0.19	0.02	
26	श्री खुमान, नरेन्द्र पिता मोहन अदया सा. दमोह	62/1,2	0.40	0.02	
27	श्री रामकृष्ण, इयामकृष्ण, अनिल, सुनील, पिता रामदास	4	0.74	0.10	
28	श्री नरेश पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह	3	5.23	0.11	
29	श्री चन्द्रभान पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह	10	2.11	0.06	
30	श्री चन्द्रभान पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह	6	2.16	0.06	
31	श्री मनीश पिता संतोष जैन सा. दमोह	40/1	0.78	0.02	
32	श्री जीबन पिता मानकलाल कुर्मी सा. दमोह	40/2	1.74	0.08	
33	श्री खुमान पिता मोहन अदया सा. देह	63	1.50	0.08	
34	श्रीमति चन्द्ररानी बेवा आशाराम परमपिता आशाराम देवेन्द्र ना.	64	1.09	0.02	
35	श्री भूपेन्द्र कुमारी बेवा रघुवीर सिंह सा. धरमपुरा दमोह	66/2	3.58	0.06	
36	श्री नहेन्द्र पिता रघुवीर सिंह सा. धरमपुरा दमोह	66/1	1.58	0.06	
37	श्री गिरीश सिंह पिता प्रतापसिंह सा. धरमपुरा दमोह	70/1	1.68	0.02	
38	श्रीमति उमादेवी पिता प्रतापसिंह सा. धरमपुरा दमोह	69/2	2.43	0.03	
39	श्रीमति पावती पति के.एल.पटेल सा. दमोह	68/1	2.07	0.08	
40	श्रीमति शायरा बेगम पति अद्युल यहीद सा. दमोह	182	2.03	0.05	
	योग :—			1.73	

क्रमांक क./भू-अर्जन-2019

दमोह, दिनांक 8 मई 2020

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये रामय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म/लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम धरमपुरा लिधोरा करैयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्य नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्य की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम : धरमपुरा 1.183 है।

आपसी सहमति से क्य की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
	धरमपुरा				
1	श्री सुन्दरलाल बल्द नाथराम अहिरवार सा. दमोह	49/2	0.129	0.026	
2	श्री लीलाधर पिता मंधत कुर्मी सा. देह	49/1	0.267	0.028	
3	श्रीमति श्यामरानी बेवा कडोरीलाल कोरी सा. देह	50	1.113	0.018	
4	श्री संजीव बल्द हुकुमचंद मनीशा पति संजीव सिंह सा.	54/2	0.510	0.024	
5	श्री संजीव बल्द हुकुमचंद मनीशा पति संजीव सिंह सा. दमोह	55/1 55/2/1 55/3 95/3	0.331 0.243 0.330 <u>0.563</u> <u>1.467</u>	0.026 0.041 0.058 <u>0.038</u> <u>0.163</u>	
6	श्रीमति अफसरी बेगम पति शेखसलाम सा. देह	58	1.883	0.044	
7	श्री कामता प्रसाद बल्द मूलचंद विश्वकर्मा सा. देह	59/1	1.076	0.014	
8	श्री रामरलाल बल्द मूलचंद विश्वकर्मा सा. देह	59/2	1.076	0.014	
9	श्री रहीसा बेगम जोजे रफीक खान सा. देह	60	1.141	0.054	
10	श्री रसीद खान बल्द रफीक खान रहीसा बेगम जोजे रफीक खान सा. देह	61/5 76	1.159 1.056	0.016 <u>0.024</u> <u>0.040</u>	
11	श्रीमति रामदेवी पति एम.के.शुक्ला सा. दमोह	146/1	0.798	0.024	
12	श्रीमति स्नेहलता जोजे गिरीशकुमार सिंह सा. देह	145/1	2.08	0.016	
13	फीरोज पिता अलीजुल हक सा. दमोह	141	0.243	0.130	
14	श्री गेंदालाल बल्द नन्हे भाई रामचरण दलराम पिता तुलसीराम सा. देह	140/1	1.048	0.064	
15	श्रीमति सरस्वती उर्फ सियारानी बेवा प्रतापसिंह सा. देह	140/2	0.113	0.024	

16	श्री विष्णुप्रसाद विनोदकुमार भोलानाथ पिता परसादी राय सा. भ्रीमति गोराकाई जोगे अमरप्रसाद सेन सा. देह	106/3 106/1 105	1.765 0.709 <u>0.829</u> <u>1.538</u>	0.040 0.054 0.056 0.110	
18	श्री दुग्धप्रसाद शारदा प्रसाद अविका प्रसाद तुलसीराम सुभद्रा पिता मणीशंकर अवधरानी बेवा मणीशंकर सा. देह	96/1 97/1	0.421 <u>0.202</u> <u>0.623</u>	0.040 0.012 0.052	
19	भ्रीमति त्रिवेणी बाई पति भंधत सा. देह	95/1/1/1	0.033	0.002	
20	श्री सौताराम बल्द रामनाथ सा. देह	95/9/7	0.052	0.002	
21	श्री लद्दू उर्फ हरकिशुन पिता परमसुख कुमी सा. देह	87	0.817	0.020	
22	श्री खेमचंद बल्द मनूलाल जैन सा. दमोह	84/5	0.696	0.012	
23	श्री निरपत पिता जालम कोरी सा. देह	84/2	0.809	0.030	
24	श्री संतोष बल्द जालम सा. देह	83/1	0.820	0.024	
25	भ्रीमति ममता पति मनोज राज सा. देह	78/3 82/1	1.213 <u>0.463</u> <u>1.676</u>	0.012 0.016 0.028	
26	श्री रामप्रसाद बल्द हरिनारायण कुमी सा. देह	78/1	0.693	0.028	
27	मदिर श्रीदेव बालाजी मुहत्तम प्रकाश बल्द मनमोहन सा. देह	137/1	0.809	0.090	
28	श्री बिठारी माथन संतोष बहादुर रंजीत पिता बैजनाथ रूपरानी बेवा बैजनाथ अहिरवार सा. देह	137/5	0.643	0.092	
	योग -			1.193	

क्रमांक क./भू-अर्जन-2019

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र.12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म/लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन मे ग्राम धरमपुरा लिधोरा करैयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्य नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्य की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम : करैयाराख 2.04 हे.

आपसी सहभति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूसामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल एकड़ हेक्टे. में	अर्जित रकमा	अन्य सम्पत्ति
करैयाराख					
1	श्री रामशंकर पिता तुलसीराम कुमारी	436	0.34	0.07	
2	श्री छोटेलाल पिता कन्धेदी कुमारी	462	0.10	0.01	
3	श्रीमति अनुषुईया रानी पति रामेश्वर कुमारी	461	1.04	0.13	
4	श्री मुकेश पिता लीलाधर कुमारी	518/1	0.80	0.02	
5	श्री तंसू पिता कन्धेदी	518/2	1.20	0.02	
6	श्रीमति बीना पति भैयाराम	518/3	0.47	0.02	
7	श्रीमति ममतारानी पति कल्लन कुमारी	520/1 520/2	1.17 0.80 1.97	0.06	
8	श्री नरेन्द्र पिता रामदयाल कमलेश पिता नरेन्द्र	527/1 527/2	4.73 0.68 5.41	0.16	
9	श्री कमलेश पिता अच्छेलाल	528/1 528/2	0.84 0.85 1.69	0.06	
10	श्री हेमन्त नावा. पिता रामशंकर	525	1.06	0.06	
11	श्री मोहन पिता कन्हई	529	1.86	0.03	
12	श्री मदन पिता अच्छेलाल सुमतरानी पति अच्छेलाल	563/1/1 563/2 563/3	0.02 0.40 0.82 1.24	0.03	
13	श्री मदन पिता अच्छेलाल सुमतरानी पति अच्छेलाल	569	1.08	0.07	
14	अशोकरानी वेवा टीकाराम खेमचंद बारे पिता टीकाराम कुमारी	564	1.05	0.02	
15	श्री हुकमप्रसाद पिता भुवानीप्रसाद कुमारी	565	0.99	0.04	
16	श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुमारी	566	1.01	0.04	
17	श्री बदौप्रसाद पिता कन्हई कुमारी	567	0.91	0.10	
18	श्री अशोकरानी वेवा टीकाराम कुमारी	570/1	0.40	0.01	
19	श्री अनन्दभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर	459	0.45	0.03	
20	श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुमारी	458	0.49	0.02	
21	श्री कल्लन पिता सुखेलाल कुमारी	457/1	0.27	0.01	
22	श्री भैय्याराम पिता तस्सु कुमारी	457/2	0.20	0.01	
23	श्रीमति बीना पति भैयाराम	456	0.48	0.02	
24	श्री हरिदास पिता पुन्नी कुमारी	452/2	0.95	0.01	
25	श्री विकम पिता भगवत प्रसाद कुमारी	452/2/1 452/3	0.75 0.20 0.95	0.02	
26	श्री रामेश्वर पिता रामनाथ कुमारी	451	1.17	0.02	
27	श्री भगवत पिता गोकल प्रसाद कुमारी	449	1.26	0.01	
28	श्री विकम पिता भगवत प्रसाद कुमारी	447	0.40	0.03	
29	श्री प्रकाश रानी पिता चिन्तु कुमारी	446/1	0.84	0.01	
30	श्री मोहन पिता कन्हई	446/2	1.20	0.01	

31	श्री प्रकाश रानी पिता विन्दु कुमी	581/1	0.60	0.02	
32	श्री अजय पिता चिन्दु कुमी	581/2	1.20	0.02	
33	श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर	580	1.60	0.03	
34	श्री बबलेश पिता ईश्वरदास कुमी	579	0.90	0.03	
35	श्री हारका पिता कनई कुमी	577	0.38	0.04	
36	श्री द्वारका पिता कनई कुमी	574	0.40	0.05	
37	श्री कर्प्पन पिता सुखलाल कुमी	573	1.45	0.02	
38	श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुमी	572	1.36	0.02	
39	श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर	571	1.27	0.02	
40	श्री शोभाराम बल्द धरमदास	242 267/2 270/2	0.45 0.26 0.06	0.02 0.01 0.01 0.04	
41	श्री लक्ष्मीराम बल्द धनीराम	268/1 268/2 260/3 243/1 243/3 430	0.95 0.47 0.15	0.07 0.04 0.01 0.12	
42	श्री जगदीश बल्द कैलाश चक्कर	247 266 264	3.59 0.66 0.21	0.16 0.03 0.03 0.22	
43	स्याही बहु वेवा झुन्नीलाल भगवानदास कलू झुन्नीलाल काशीराम पिता मुन्नीलाल	269	0.19	0.02	
44	श्री लीलाघर उर्फ सूरज पिता धरमदास	267/3	0.25	0.01	
45	श्री चंपालाल पिता लक्ष्मीलाल	243/2	0.23	0.02	
46	श्री रामलाल पिता रामदास कुमी	267/1 270/1	0.59 0.06	0.05 0.01 0.06	
47	श्री मुन्नालाल बल्द अच्छेलाल कुमी	248	0.13	0.01	
48	श्री कालूराम बल्द बाबूलाल कुमी	259/1	0.16	0.02	
49	श्री कमलेश पिता अच्छेलाल	261/1	0.20	0.02	
50	श्री मदन पिता अच्छेलाल कुमी	261/2	0.09	0.02	
51	श्री दिनेश नाथा पिता वली जगदीश अद्या	262	0.19	0.01	
52	श्री घनरथाम पिता लक्ष्मीराम	268/4	0.03	0.03	
53	श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर	432	0.14	0.01	
54	श्री भवानी पिता लक्ष्मण कुमी	431	0.14	0.01	
55	श्री मोहन दिता कनई	433	0.14	0.01	
56	श्री चितु रामर भुन्नालाल मदन कमलेश पिता अच्छेलाल जाति कुमी	434	0.14	0.01	
	योग :-			2.04	

तरलण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 13-अ-82-2019-20-बिजासनी-4509

बैतूल, दिनांक 6 मई 2020

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (डि. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	बिजासनी	18.481	बिजासनी स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	73/13	0.198	
2	प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराव, लीलाबाई वे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा, पता सा. मांडवी	60 63 58	0.737 5.253 11.097	0.737 2.946 3.132
3	गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	62	0.146	0.146
4	बाबाराव पिता शंकरराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	12	3.553	0.526
5	महादेव, सहादेव पिता विट्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विट्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी, भूमि-स्वामी	40	6.232	0.130
6	माखनलाल व. आत्माराम, जाति किराड़, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	41/1 59/1	0.118 0.132	0.057 0.132
7	श्रीराम व. आत्माराम, जाति किराड़, पता सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/2 59/2	0.115 0.132	0.048 0.132
8	नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी	41/3 59/3	0.115 0.132	0.057 0.132

9	मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू—स्वामी	41/4 59/4	0.115 0.132	0.057 0.132
10	हरिराम व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू—स्वामी	41/5 59/5	0.115 0.132	0.065 0.132
11	पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू—स्वामी	41/6 59/6	0.526 0.360	0.323 0.360
12	पूरन वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम	195/1 197/1	1.896 2.897	0.032 0.384
13	टुकड़ु वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम	195/2 197/2	1.895 2.898	0.833 2.266
14	नामदेव उर्फ भामदेव वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी	195/3 197/3	1.895 2.897	1.719 2.205
15	विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/1	1.709	0.397
16	धनराज, भरतलाल, लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/2	1.326	0.154
17	दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी, भू—स्वामी	198/3	1.357	0.227
18	चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली, जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू—स्वामी	198/4	2.203	0.591
19	ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/16	1.708	0.401
	कुल योग :-	30	52.021	18.481

- चूंकि बिजासनी स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2535-प्रस्तु-भू-अर्जन-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मई 2020

कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन के अंतर्गत नांदना एवं हरदुआ वितरक नहर के माईनर तथा सब माईनर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15 मार्च, 2019 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 562/कार्य/2019-20 सिंगना दिनांक 16.03.2020 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 (7) उपधारा-1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 2519-भू-अर्जन-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 मई 2020

चैक्कि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए)/381/2019/एमपीएस/31/221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम— भूली प0ह0न—31 ब.न.—298 रा.नि.म.— नांदनवाडी	रक्का— 185.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांडुर्णा बांध-2 के द्वारा प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0P0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू—अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (M0P0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 2520-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए)/381/2019/एमपीएस/31/221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्रावक्ळन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाडा	पांदुर्णा	ग्राम— धावड़ीखापा प0ह0न-32 ब.न.-203 रा.नि.म.— पांदुर्णा	रकबा— 406.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर ^{आने वाली} परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांदुर्णा जिला छिन्दवाडा	छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांदुर्णा बांध-2 के द्वूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2521-भू-अर्जन-2020

चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिंदवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रांतेकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम— नीलकंठ पा० ह० न०-५२ ब०.न०-२१५ सा०.नि०.म०- पांदुर्णा	रकबा— 25.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील—पांदुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा सिंचाई कार्यालय कार्यालय के अंतर्गत पांदुर्णा बांध-२ के द्वारा प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—पांदुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांदुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2522-भू-अर्जन-2020

चैकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए)/381/2019/एमपीएस/31/221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम—भुयारी प0ह0न-32 ब.न.—297 रा.नि.म.—नांदनवाडी	रक्का— 188.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—पांदुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत पांदुर्णा बांध-2 के ऊब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0PRO शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू—अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (M0PRO) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू—अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2523-भू—अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक—22(ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राकृतिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा—11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्लाभस्थापन में उचित प्रातेकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिस्थियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम— खड़की प0ह0न-32 ब.न.-67 रा.नि.म.— पांडुर्णा	रकबा— 378.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा सिंचाई कार्यालय के अंतर्गत पांडुर्णा बांध-2 के दूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू—अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू—अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2524-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए)/381/2019/एमपीएस/31 /221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम- मोरडोंगरी पा०ह०न-62 ब.न.-324 रा.नि.मं.-पांदुर्णा	रक्का- 54.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांदुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत पांदुर्णा बांध-2 के दूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू—अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तंहसील—पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के समक्ष प्रत्युत्तर कर राकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पत्र क्र. -भू—अर्जन-2020 रीवा, दिनांक 15 मई 2020

“ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रक्वे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम लटियार-507 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, तहसील सेमरिया, रीवा—बीड़ा—सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के रीवा तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	-	रीवा (म.प्र.)	(ख)	तहसील	-	सेमरिया
(ग)	नगर/ ग्राम	-	लटियार-507	(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	0.486 हेक्टेयर

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रक्वा (हे. मे.)
1	159	0.061
कुल 1 किता		0.061 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— रीवा—बीड़ा—सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 159-भू-अर्जन-2020

रीवा, दिनांक 18 मई 2020

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम करमझ राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, तहसील सेमरिया, रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग में निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के रीवा तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	-	रीवा (म.प्र.)	(ख)	तहसील	-	सेमरिया
(ग)	नगर/ग्राम	-	करमझ	(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	0.159 हेक्टेयर

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	310/3	0.101	2	313/1/1/2	0.029	3	313/1/1/3	0.029
कुल 3 किता								0.159 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग में निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 162-भू-अर्जन-2020

रीवा, दिनांक 21 मई 2020

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम महमूदपुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल सूरा, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकड़ियार नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	-	रीवा (म.प्र.)	(ख)	तहसील	-	मनगवां
(ग)	नगर/ग्राम	-	देवरा	(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	0.044 हेक्टेयर

पूर्व प्रकाशित खसरा एवं रकवा का विवरण			प्रकाशन हेतु संशोधित खसरा एवं रकवा का विवरण		
क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	792/2	0.044	1	762/2	0.044
कुल योग 01 किता		0.044 हे	कुल योग 01 किता		0.044 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— महमूदपुर देवरा मार्ग में पकड़ियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुरें, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पत्र क्र. 285-भू-अर्जन-2019

रीवा, दिनांक 30 मई 2019

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रक्वे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम गोदहा-136 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, तहसील सेमरिया, रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 मे निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के सेमरिया तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	-	रीवा (म.प्र.)	(ख)	तहसील	-	सेमरिया
(ग)	नगर/ ग्राम	-	गोदहा-136	(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	0.336 हेक्टेयर

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रक्वा (हे. मे)
1	301/2/1/ख/1	0.336
	कुल योग 01 किता	0.336

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 मे निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र क्र. ए. 165

आगर-मालवा, दिनांक 20 मई 2020

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डलिया बृहद परियोजना से ग्राम कचनारिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा – 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – कचनारिया		तहसील – नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा है. मे	अर्जित रकबा है.
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	2.870	2.590
योग		2.870	2.590

अनुसूची (2)

(1) ग्राम कचनारिया के कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5	6
1	रमेश पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464	0.520	0.520	0.520
2	कालूराम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	467, 469	0.690	0.690	0.690
3	जगदीश, पप्पू पिता रामचन्द्र जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	470	0.310	0.310	0.310
4	सूरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	570	0.720	0.720	0.720
5	बनवारी पिता कालूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	465	0.630	0.350	0.350
योग		0.63	0.35	0.35	
कुल योग:-		2.870	2.590	2.590	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. ए. 167-भू-अर्जन-2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाला तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा – 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम – पनाला		तहसील – नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा है. मे	अर्जित रकबा है.
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.620	0.530
	योग	0.620	0.530

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5	6
1	सिद्ध दत्तक पुत्र करण, कमलबाई नोरंग बाई पांचुबाई श्यामुबाई पिता करणसिंह पीरु गंगाराम ललताबाई पुत्रगण भेरुलाल देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावाई पति भंवरलाल कंवरलाल सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	0.050	0.050	0.290
		208	0.240	0.240	
	योग	0.290	0.290	0.290	
2	श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान	243	0.02	0.02	0.02
	योग	0.02	0.02	0.02	

संक्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5	6
3	मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरु कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	258	0.020	0.020	0.020
		योग	0.02	0.02	0.02
4	बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/4	0.060	0.060	0.060
		योग	0.06	0.06	0.06
5	भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	0.100	0.100	0.100
		योग	0.1	0.1	0.1
6	लक्ष्मीनारायण पिता भेरु हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312	0.050	0.020	0.020
		योग	0.05	0.02	0.02
7	गंगाराम राधेश्याम कालु पिता भंवरलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	314	0.010	0.010	0.010
		योग	0.01	0.01	0.01
8	चंद्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	315	0.070	0.010	0.010
		योग	0.07	0.01	0.01
	कुल योग:-		0.620	0.530	0.530

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. ए. 169

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डलिया बृहद परियोजना से ग्राम टिकोन तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बांध निर्माण के द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा – 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – टिकोन		तहसील – नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैवटर	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल रकबा है. मे	अर्जित रकबा है.
1		0.627	0.121
योग		0.627	0.121

अनुसूची (2)

(1) ग्राम टिकोन के कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

संक्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5	6
1	गंगाराम पुत्र मंशा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी पट्टे से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	1516 1517	0.627	0.121	0.121
	योग		0.627	0.121	0.121

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. ए. 171

आगर-मालवा, दिनांक 20 मई 2020

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम बेरछाखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम - बेरछाखेड़ी		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.630	1.610
	योग	1.630	1.610

अनुसूची (2)

(1) ग्राम बेरछाखेड़ी के कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

संक्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	तोलामरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्वामी	513	0.700	0.700	0.700
2	जालमसिंह पिता भावसिंह बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/3	0.160	0.150	0.150
3	गिरधारी पिता मेघा जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/2/2	0.420	0.410	0.410
4	किशन पिता नाथा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54	0.350	0.350	0.350
	योग		1.630	1.610	1.610

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. ए. 173

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाली तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के झूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा – 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम – पनाली		तहसील – नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं झूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.
	योग	1.070	1.070

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाली के कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	पदमाबाई, लीलाबाई, देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	0.280	0.280	0.570
		347	0.150	0.150	
		350	0.140	0.140	
	योग	0.570	0.570	0.570	
2	उमरावबाई विधवा देवीसिंह, रोडमल, मानसिंह पिता देवीसिंह, सूरजबाई पुत्री देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भण्डावद शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय	365	0.500	0.500	0.500
		योग	0.500	0.500	
		कुल योग:-	1.070	1.070	
स. क्र.	मंदिर का नाम	मंदिर का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर मे	अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे	
1	2	3	4	5	
1	मंदिर श्री देवनारायण महाराज ग्राम पनाली	आर.सी.सी. छत स्तर	61.570	61.570	
		योग	61.570	61.57	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. ए.

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया बृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के छूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवन जिसका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - पनाला तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा

क्रं.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षैत्रफल	कुल क्षैत्रफल वर्गमीटर में
1	निजी भवन 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं छूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		3105.209
	योग		3105.209

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने वाले मकानों का विवरण।

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	स्थान
1	01	अमरसिंह पिता भंवरलाल विश्वकर्मा	295	टीनशेड	66.18	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	44.81	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	12.36	
				कुल	123.34	
2	02	श्री मति शांताबाई वि. सिद्धनाथ विश्वकर्मा	295	टीनशेड	67.46	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	45.68	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	12.92	
				कुल	126.05	

सं.स्क.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
3	3/1	अमरसिंह पिता रामचन्द्र भीलाला	295	कवेलू	49.53	ग्राम आबादी में स्थित है।
				टीनशेड	27.52	
				टीनशेड	8.19	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	48.26	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	7.98	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	61.65	
				खुला आंगन	82.72	
					कुल 285.85	
4	3/2	श्री गंगाराम पिता रामचन्द्र भीलाला	295	कवेलू	39.20	ग्राम आबादी में स्थित है।
				टीनशेड	30.40	
				टीनशेड	29.45	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	23.87	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	22.61	
				खुला आंगन	24.99	
				कुल	170.52	
5	4	दुलेसिंह पिता मांगीलाल	295	गाड़र फर्सी	30.66	ग्राम आबादी में स्थित है।
				टीनशेड	15.12	
				कुल	45.78	
				टीनशेड	50.45	
					कुल 50.45	
7	6/1	विनेश पिता भागीरथ भील	295	टीनशेड	18.48	ग्राम आबादी में स्थित है।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	14.64	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.12	
				खुला आंगन	5.28	
				कुल	53.52	
8	6/2	रामसिंह पिता भागीरथ भील	295	टीनशेड	18.48	ग्राम आबादी में स्थित है।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.12	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	14.64	
				खुला आंगन	5.28	
				कुल	53.52	
9	7	श्री हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	27.74	ग्राम आबादी में स्थित है।

सं.नं.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिकार्ड
				कुल	27.74	
10	8	रामसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	39.78	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	77.52	
				कुल	117.30	
11	9/1	बलदेव पिता धुला जी गुर्जर	295	टीनशेड	32.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.50	
				कुल	60.75	
12	9/2	भगवानसिंह पिता बलदेवसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	32.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	29.25	
				कुल	61.50	
13	10	मेवाबाई पुत्री देवसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	32.37	ग्राम आबादी मे
				कुल	32.37	
14	11	श्री मोहनलाल पिता गणपतसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	29.88	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	29.88	
15	12	रामदयाल पिता गणपत गुर्जर	295	टीनशेड	33.80	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	33.80	
16	13	सिद्धलाल पिता गणपतजी गुर्जर	295	टीनशेड	34.03	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	34.03	
17	14	जयनारायण पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	50.82	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	50.82	
18	15	हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	48.720	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	48.72	
19	16	श्री मति मोहनबाई पिता सूरजसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	52.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	51.15	
				कुल	103.40	
20	17	रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	53.91	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	52.78	
				कुल	106.69	
21	18	काशीराम पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	97.44	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				कुल	97.44	▲

सं.नं.	मकान नं.	भवन के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिकार्ड
22	19	प्रहलाद पिता उमरावसिंह गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड	77.40 63.64	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	141.04	
23	20	मायाराम पिता छीता गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	18.69 19.26	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	37.95	
24	21	भोलाराम पिता मांगीलाल गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.113 15.578	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	30.69	
25	22	लुनाराम पिता मांगीलाल गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.11 15.578	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	30.69	
26	23	आत्माराम पिता माधुसिंह गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के खुला आंगन	29.05 21.580 38.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	89.23	
27	24	माधुसिंह पिता गणपतसिंह गुर्जर	295	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के टीनशेड बिना चार दिवाल के टीनशेड बिना चार दिवाल के	26.82 26.08 56.16 29.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	138.66	
28	25	हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	आरसीसी छत	62.21	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	62.21	
29	26	हिन्दुसिंह पिता देवीसह	295	कवेलू	57.20	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	57.20	
30	27/1	पीरुलाल पिता भेरुलाल	295	पीरुलाल पिता भेरुलाल टीनशेड टीनशेड टीनशेड	23.40 11.96 3.60 8.55	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	47.51	
31	27/2	गंगाराम पिता भेरुलाल भीलाला	295	टीनशेड टीनशेड टीनशेड कवेलू	11.96 8.55 3.80 23.40	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	47.71	
32	28	मोहनलाल पिता हरिसिंह भीलाला	295	कवेलू खुला आंगन	28.50 16.50	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	45.00	

सं.प्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
33	29/1	अमरसिंह पिता भंवरलाल भीलाला	295	टीनशेड टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	40.96 18.86 5.40	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	65.22	
34	29/2	कंवरलाल पिता भंवरलाल भीलाला	295	करेलू टीनशेड टीनशेड टीनशेड टीनशेड	21.66 15.96 15.02 13.48 11.55	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	77.66	
35	30/1	रमेशचंद्र पिता समन्दर जी गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	28.60	
36	30/2	रामनारायण पिता समन्दर गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	28.60	
37	30/3	सावीत्रीबाई पुत्री समन्दर जी	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				कुल	28.60	
38	34/1	रामदयाल पिता भंवरलाल गुर्जर	210	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	27.23 23.60	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	50.82	
39	34/2	रामचरण पिता भंवरलाल गुर्जर	210	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	27.23 23.60	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	50.82	
40	35	पीरुलाल पिता रतनलाल भीलाला	232	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	29.96 37.45	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	67.41	
41	36	घीसूलाल पिता भोनेसिंह भीलाला	246	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	31.68 25.96	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	57.64	
42	37	तेजूबाई पति कंवरलाल भीलाला	147	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	42.40 45.87	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	88.27	
सं.प्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
43	38	नारायण पिता देवा जी भीलाला	247	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	30.80 38.50	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	69.30	
44	39	विष्णु पिता सिंहलाल गुर्जर	254	टीनशेड टीनशेड बिना चार दिवाल के	27.45 23.49	भवन निजी भूमि में स्थित हैं।
				कुल	50.94	
				महायोग—	3105.209	

नोट :— भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू—अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क्यू-5177-भू-अर्जन-2020-21

विदिशा, दिनांक 18/20 मई 2020

चैंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग विदिशा के कार्यालय में कर सकता।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
विदिशा	विदिशा	ढोलखेड़ी	निजी भूमि 0.804 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा सम्बाग, विदिशा	एन.एच. 86 धूरिया हवेली, आमाघार चक्क जीवाजीपुर ढोलखेड़ी (एस.एच.19) रिंग रोड तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम ढोलखेड़ी की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विदिशा / भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग, विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची-०१

एन.एच.-८६ धरतुरिया हवेली से आमाछावर चकक, जीवाजीपुर होते हुये ढोलखेड़ी एस.एच.-१९ तक रिंग रोड निर्माण हेतु मार्ग में आ रही याम ढोलखेड़ी की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु

सं.क्र.	कृषक का नाम पिता / पति का नाम	सर्वे कमांक	भूमि का कुल रक्षा हेक्टेयर में			अंदित की जाने वाली भूमि का रक्षा
			निस्तित	आस्तीचित	कुल	
1.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र बिहारीसिंह	414	0.320हे.	0.014हे.	0.334हे.	0.320हे.
	416 / 3	0.835हे.	—	—	0.836हे.	0.014हे.
	420 / 1	0.126हे.	—	—	0.126हे.	0.177हे.
2.	श्री प्रकाशसिंह पुत्र बिहारीसिंह	413 / 3	1.282हे. 1.881हे.	0.014हे. —	1.296हे. 1.881हे.	0.021हे. —
	कुल	3.163हे.	0.014हे.	3.177हे.	0.738हे.	0.066हे.
						0.804हे.

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
“आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” के तहत निजी भू-धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव
सार्वजनिक सूचना

क्र. 26-री-2020

सिलवानी, दिनांक 1 जून 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की “आपसी सहमति से क्रय नीति” के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा **मगरमौली –हतौड़ा मार्ग पर तेच्चूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु** के लिए निम्न दिवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य ना होगी। ऐसे भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्रं.	भूमि स्थित ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिये प्रस्तावित रकमा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	पुरन पुत्र-हल्कू व अन्य दो जाति- गौड़ नि.ग्रा- मगरमौली	158/3/2	0.202
2	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	राधेलाल आ. सुंदरलाल जाति- रघुवंशी नि.ग्रा- हतौड़ा	22/1/12	0.056
3	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	शब्बो बाई/नन्दलाल शाडरी नि. ग्रा-मगरमौली	158/1/1	0.050
4	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	राजेन्द्र सिंह आ. राधेलाल रघुवंशी नि.ग्रा- मगरमौली	22/1/13	0.054
5	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	लीलावती बेगा रामप्रसाद जाति. चमार नि.ग्रा- हतौड़ा	22/1/14	0.040

ए.ल. के. खरे, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश
अनुसूची

जा. क्र. 6334

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 2 जून 2020

कमांक /भू-अर्जन/2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक/अ-82/18-19..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में नभापुरा तालाब के ढूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम नभापुरा, एवं मल्हारपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि नभापुरा के तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है एवं इस हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

नभापुरा तालाब के ढूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि

तहसील :- राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नभापुरा	40	22.134	12.417
2	मल्हारपुरा	38	14.979	13.334
कुलयोग :-		78	37.113	25.751

-: अनुसूची (2) :-

नभापुरा तालाब के ढूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम नभापुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)	
				भूमि (हेक्टे.)	
1	2	3	4	5	
1	भंवरीबाई, सुरजीबाई, नोरंगबाई, कमलाबाई पुत्रीयां शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. क्रमशः चिंवाद, बागपुरा, सेवली, खेडा (जिला शाजापुर भूमि स्वामी)	236/2/1	1.838	0.735	
	योग	1	1.838	0.735	
2	नारायणसिंह आ. रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	236/2/1/1	0.500	0.400	
	योग	1	0.500	0.400	
3	दर्यावसिंह आ. परथी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	236/2/3	0.411	0.308	
	योग	1	0.411	0.308	
4	धूला आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/3/1/2	1.945	0.633	
	योग	1	1.945	0.633	

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा (हेक्टे.)	प्रभावित रकमा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	मांगीलाल आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/3/1/3	2.354	0.500
	योग	1	2.354	0.500
6	प्रेमसिंह आ. बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कोडकथा भूमि स्वामी	237/1/1/9/2	1.012	0.253
	योग	1	1.012	0.253
7	परथी, भगवान, प्रताप आ. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/1 239/1/1	0.724 0.844	0.724 0.844
	योग	2	1.568	1.568
10	देवीलाल पिता भंवरलाल, कमलाबाई विधवा भंवरलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/2 239/2 285/1 286/2 286/4	0.363 0.612 0.466 0.243 0.040	0.363 0.612 0.466 0.243 0.040
	योग	5	1.724	1.724
8	हरिसिंह, कालू आ. माधू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/3 239/3/1	0.362 0.547	0.362 0.547
	योग	2	0.909	0.909
9	सत्यानारायण पिता श्रीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	239/1/2	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
10	बीरमसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी	240/1 287/1	0.283 0.088	0.283 0.088
	योग	2	0.371	0.371
11	तरवरसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी	240/2 287/2	0.283 0.088	0.283 0.088
	योग	2	0.371	0.371
12	शिवसिंह पिता पता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी	240/3 287/3	0.284 0.087	0.284 0.087
	योग	2	0.371	0.371
13	मांगीलाल, जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	281/1/1 281/1/2 285/4	0.253 0.253 0.126	0.253 0.253 0.126
	योग	3	0.632	0.632
14	मांगीलाल पिता पूरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/3 281/4	0.503 1.000	0.250 0.200
	योग	2	1.503	0.450

संख्या	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)	
				भूमि (हेक्टे.)	
1	2	3	4	5	
15	बनेसिंह आ. प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाड़ल्या भूमि स्वामी	285/2	0.250	0.250	
	योग	1	0.250	0.250	
16	प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/5/1, 288/11/1	0.425	0.425	
	योग	1	0.425	0.425	
17	कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/5/2/1, 288/11/2	0.233	0.233	
	योग	1	0.233	0.233	
18	हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/5/2/2	0.192	0.192	
	योग	1	0.192	0.192	
19	गेंदा आ. धूला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/5	1.214	0.253	
	योग	1	1.214	0.253	
20	मेहताब आ. मोती जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/1	1.214	0.360	
	योग	1	1.214	0.360	
21	भैवरलाल, मोतीलाल, धीरप पिता करणसिंह, धूलीबाई बैवा करणसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	230/3	0.341	0.341	
	योग	1	0.341	0.341	
22	बालू प्रेम आ. पूरा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	231/2 233/1/3	0.405 0.225	0.253 0.225	
	योग	2	0.630	0.478	
23	बनेसिंह पिता पूरा सरदारबाई विधवा पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/2	0.442	0.045	
	योग	1	0.442	0.045	
24	दर्यावबाई विधवा केसर, अमरसिंह, फुलसिंह पिता केसर जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/3 235/4	0.438 0.198	0.045 0.095	
	योग	2	0.636	0.140	
25	नारायणसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/4	0.668	0.095	
	योग	1	0.668	0.095	
25	कुलयोग :-	40	22.134	12.417	
नवापुरा तालाब के छूट क्षेत्र एवं वेस्टियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम मल्हारपुरा					
1	बीरमसिंह, तरवरसिंह, शिवसिंह पिता फत्ता मु. कंचनबाई बैवा फत्ता जाति सौधिया नि. ग्राम नवाबपुरा भूमि स्वामी	40/3 40/7 47/1	0.271 0.053 3.414	0.271 0.053 3.414	
	योग	3	3.738	3.738	
2	रामबगस, गोपरथन, मूलचन्द, प्रभू आ. माधोदास रामप्यारी बाई पुत्री माधोदास जाति बैरागी नि. ग्राम नवाबपुरा भूमि स्वामी	40/6/1	0.405	0.203	
	योग	1	0.405	0.203	

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकम (हेक्टे.)	प्रभावित रकम (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
3	मनोहरसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/1, 47/2/1 46/2/1/1	0.541 0.220	0.541 0.220
	योग	3	0.761	0.761
4	मांगीलाल पिता परथी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/2, 47/2/2 46/2/2	0.542 0.254	0.542 0.127
	योग	3	0.796	0.669
5	शिवसिंह पिता परथी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/3, 47/2/3	0.417	0.417
	योग	2	0.417	0.417
6	कमलसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/2/1/2	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
7	प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि	47/89/1, 48	3.228 0.257	3.228 0.160
	योग	3	3.485	3.388
8	कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरु जाति सौंधिया पता नि. नवाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/1 49/1 50/1 51/1 55/2/2/1	0.026 0.037 0.443 0.536 0.012	0.026 0.037 0.443 0.375 0.012
	योग	5	1.054	0.893
9	हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौंधिया पता नि. नवाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/2 49/2 50/2 51/2 52/3 55/2/2/2	0.026 0.038 0.442 0.536 0.188 0.012	0.026 0.038 0.442 0.268 0.094 0.012
	योग	6	1.242	0.880
10	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया पता नि. नवाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/3 49/3 50/3 51/3 55/2/2/3	0.026 0.038 0.442 0.535 0.012	0.026 0.038 0.442 0.267 0.012
	योग	5	1.053	0.785
11	गिरवर बापू, प्रभू, धीरप आ. बदन जाति सौंधिया पता नि. शिवपुरी भूमि स्वामी	52/2/1 55/2/3 55/13/1	0.471 0.138 0.500	0.188 0.138 0.275
	योग	-3	1.109	0.601
12	भवरलाल, हरीसिंह, कालू, आ. माधू सुरजीबाई पुत्री माधू व परथी, भगवान प्रतापसिंह, आ. हीरा केशरबाई पु. हीरा जाति सौंधिया नि. ग्राम नवाबपुरा भूमि स्वामी	40/6/2 52/1	0.267 0.432	0.267 0.432
	योग	2	0.699	0.699
13	भगवानसिंह आ. हिंदूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम पाड़लिया भूमि स्वामी	52/4	0.187	0.267
	योग	1	0.187	0.267
13	कुलयोग :-	38	14.979	13.334

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.-6380-भू-अर्जन-2020

राजगढ़, दिनांक 4 जून 2020

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में लिम्बोदा जलाशय तहसील खिलदीपुर जिला राजगढ़ लिम्बोदा जलाशय निर्माण के ढूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

	लिम्बोदा जलाशय	तहसील – खिलदीपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेएम)	
	निजी भूमि लिम्बोदा जलाशय के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	रकबा	
1	ग्राम-कोडक्या की भूमि	33.675	
2	ग्राम-लिम्बोदा की भूमि	24.448	
3	ग्राम-कोडकी की भूमि	3.255	
	योग	61.378	

अनुसूची (2)

(1) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडक्या की निजी भूमि प्रभावित होने से भूअर्जन प्रकरण					
तहसील – खिलदीपुर			जिला राजगढ़		
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
	ग्राम- कोडक्या				
1	हीरा, गोपाल आ. रामा, धीसा भवाना आ. मैरू , हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरू जाति अ.जा. नि भू स्वामी				
	योग	3	0.226	0.226	

क्रं	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अर्जित भूमि वाले भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
2	हीरा, गोपाल आ. रामा, धीसा भवाना आ. भैरू , हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरू1/5, भवंरीबाई बेवा हिरालाल, शेतानबाई पुत्री हिरालाल 1/5, पुरीलाल बद्रीलाल प्रेमसिंह बनेसिंह पिता हिरालाल 1/5, रमेश धीरप पिता रतनलाल 1/5 सर्व जाति अ.जा. नि भू स्वामी	2	0.482	0.382	
3	योग	1	0.482	0.382	
3	लालजी पिता हिरालाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी	8/1	0.141	0.101	
		19/7	0.427	0.427	
		34/3/3	0.009	0.009	
		44/5	0.413	0.413	
		48/2	0.081	0.081	
		50/1	0.083	0.083	
		30/4, 31/4	0.075	0.075	
		29/2	0.244	0.244	
		32/5/3	0.024	0.024	
		46	0.368	0.368	
		47	0.012	0.012	
		11	1.877	1.837	
4	योग	4	0.807	0.773	
4	नाराणसिंह पिता फतेहसिंह जाति सो.0नि ग्राम भूस्वामी	9	0.125	0.125	
		11	0.012	0.012	
		6/2/2	0.115	0.081	
		8/2	0.555	0.555	
		4	0.807	0.773	
5	योग	3	0.045	0.045	
5	अनोखबाई बैवा शिवसिंह जाति सो. निग्राम भूस्वामी	10	0.012	0.012	
		32/5/2	0.024	0.024	
		34/3/2	0.009	0.009	
		3	0.045	0.045	
6	योग	9	1.026	1.026	
6	दरियावसिंह फुलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सो.नि ग्राम भूस्वामी	13/1	0.113	0.113	
		19/4	0.213	0.213	
		30/1, 31/1	0.026	0.026	
		118/1	0.166	0.166	
		34/3/1	0.008	0.008	
		44/2	0.101	0.101	
		123/10	0.253	0.253	
		32/5/1	0.023	0.023	
		29/3	0.123	0.123	
		9	1.026	1.026	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अर्पित की जाने पाली भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
7	कमलसिंह पिता प्रभु जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	14/1 19/1 19/3 51/4	0.122 0.142 0.143 0.183	0.122 0.142 0.143 0.183	
	योग	4	0.590	0.590	
8	नरभेसिंह पिता परथी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	17/1/1 17/1/2	0.797 0.625	0.021 0.501	
	योग	2	1.422	0.522	
9	गोरीलाल, नंदराम, मंजूबाई पिता नरभेसिंह, कमलबाई बेवा नरभेसिंह हि. 1/4 – 1/4 जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है।	19/5 44/3 119/1 49/2 50/3 51/2 29/4 30/2, 31/2	0.214 0.102 0.213 0.342 0.024 0.108 0.122 0.051	0.214 0.102 0.213 0.342 0.024 0.108 0.122 0.051	
	योग	8	1.176	1.176	
10	कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	29/1/2 19/6 42/5 44/1 44/4 50/2 119/6 15/2/2	0.160 0.427 0.232 0.204 0.204 0.047 0.213 0.050	0.160 0.427 0.232 0.204 0.204 0.047 0.213 0.050	
	योग	8	1.537	1.537	
11	उकार पिता मांगीलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी नि ग्राम भूस्वामी	19/8 111	0.427 0.255	0.427 0.155	
	योग	2	0.682	0.582	
12	घीसालाल आ. लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/1	1.000	0.950	
	योग	1	1.000	0.950	
13	कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/4 36/1 6/3/2 6/4	0.131 0.064 0.130 0.259	0.131 0.064 0.025 0.051	
	योग	4	0.584	0.271	
14	रामलाल धीरपसिंह सुल्तानसिंह पिता घीसालाल हि. 1/3–1/3 जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/7 36/6 121/1 42/2 21/2	0.125 0.059 0.101 0.601 0.276	0.125 0.059 0.101 0.601 0.276	
	योग	5	1.162	1.162	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अधिकारी का जाति वाली भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
15	दुलेसिंह आ. जगनाथ जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	20/8 21/3 21/5 21/6 21/8	0.131 0.276 0.140 0.140 0.140	0.131 0.276 0.140 0.140 0.140	
	योग	5	0.827	0.827	
16	लक्ष्मीनारायण बजेसिंह पिता रुगनाथ ,रतनबाई बैवा रुगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है।	129/1/2 34/1 123/7	0.629 0.026 0.187	0.629 0.026 0.187	
	योग	3	0.842	0.842	
17	घीसा बनेसिंह आ लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब, नाछीबाई शैतानबाई पुत्री गुलाब , उदयसिंह नारानसिंह पर्वतसिंह शांताबाई पिता करणसिंह , मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दुलेसिंह पिता जगनाथ , मेहताबबाई पुत्री भैरवसिंह ,1/3 कालूसिंह पिता भंवरलाल गीताबाई पुत्री भंवरलाल गेंदा पिता बदन, बीरम बलवंत कमल कोशल्या शैतान सुंदर पिता शिवसिंह , द्रोपतिबाई पति शिवसिंह 1/2 पीरसिंह गोपाल पिता रतनलाल ,कमलाबाई पुत्री रतनलाल मांगीलाल पिता देव कालूसिंह जसवंतसिंह पिता मोहनलाल बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ , रतनबाई बैवा रुगनाथ बीरमसिंह मांगीलाल पिता उदयसिंह, कैसरबाई बैवा उदयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	35	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
18	हरिसिंह आ. गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	36/7 121/4 33/4 42/6 20/9/2 21/4	0.036 0.135 0.019 0.253 0.125 0.272	0.036 0.135 0.019 0.253 0.125 0.272	
	योग	6	0.840	0.840	
19	घीसालाल बनेसिंह पिता लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दुलेसिंह पिता जगनाथ नारानसिंह पर्वतसिंह पिता करनसिंह जडावबाई बैवा करनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	40	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
20	रतनसिंह पिता जगनाथ जाति सौ निग्राम भूस्वामी	129/4 18/2	0.886 0.531	0.051 0.531	
	योग	2	1.417	0.582	
21	धापूबाई बैवा मोहनलाल सौ. निग्राम भूस्वामी	129/1/1	0.628	0.628	
	योग	1	0.628	0.628	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अधिकारी की जाति वाले भूमि का रकमा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
22	कैसरबाई बेवा उदयसिंह , बीरम मांगीलाल पिता उदयसिंह बराबर हिस्सा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	129/1/3 127/1/6 123/8 32/3 127/1/5	0.629 0.075 0.187 0.036 0.226	0.629 0.024 0.187 0.036 0.200	
	योग	5	1.153	1.076	
23	कैलाश महेश पिता गेंदा गीताबाई बेवा गेंदा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	126/1 118/2 123/3	0.052 0.085 0.450	0.052 0.085 0.450	
	योग	3	0.587	0.587	
24	छीताबाई बैवा बापूलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	122 124	0.214 0.506	0.214 0.506	
	योग	2	0.720	0.720	
25	शातिबाई पत्नि रतनसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	125/2/1 125/2/2	0.279 0.253	0.279 0.128	
	योग	2	0.532	0.407	
26	धुलाबाई बैवा हीरालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	120 119/5 126/2	0.178 0.213 0.430	0.178 0.213 0.430	
	योग	3	0.821	0.821	
27	रामेश्वरसिंह विजयसिंह पिता अमरसिंह धापूबाई बेवा अमरसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	41 130	0.178 0.543	0.178 0.543	
	योग	2	0.721	0.721	
28	फूलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 कमलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 सौ. नि ग्राम भूस्वामी	22 23/1 123/2 127/1/8/1	0.417 0.078 0.495 0.237	0.417 0.078 0.495 0.124	
	योग	4	1.227	1.114	
29	पर्वतसिंह नारानसिंह आ. करणसिंह जतनबाई बेवा करनसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/2 36/4 33/2 121/5 42/3/1 20/9/1	0.253 0.037 0.020 0.135 0.116 0.128	0.253 0.037 0.020 0.135 0.116 0.128	
	योग	6	0.689	0.689	
30	फतेहसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	25/1 25/2/1	0.383 0.190	0.383 0.190	
	योग	2	0.573	0.573	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	आविष्ट का जाति याती भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
31	पीरसिंह गोपाल कमला पिता रतनलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	24 32/1 123/1 34/2 123/6 23/2 25/2/2 127/1/7	0.405 0.036 0.065 0.025 0.325 0.278 0.190 0.576	0.405 0.036 0.065 0.025 0.325 0.278 0.190 0.576	
	योग	8		1.900	1.900
32	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह आ बापूलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	15/1 37/1 38 125/1 37/4 17/2	0.101 0.161 0.065 0.532 0.161 1.423	0.101 0.161 0.065 0.532 0.161 1.423	
	योग	6		2.443	2.443
33	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बैवा बापूलाल उंकारसिंह पिता मांगीलाल, बालूसिंह कालूसिंह पिता शिवसिंह, अनोखबाई बैवा शिवसिंह, लालजी पिता हीरालाल , धूलाबाई बैवा हीरालाल, प्रेमसिंह नरभैसिंह पिता रूपजी बद्रीनारान प्रभु पिता फतेसिंह, शैतानबाई पुत्री फतेसिंह मांगीलाल पिता देवसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	12	0.024	0.024	
	योग	1		0.024	0.024
34	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बैवा बापूलाल, कालूसिंह हिन्दुसिंह नारायनसिंह आ. गंगाराम जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	39	0.012	0.012	
	योग	1		0.012	0.012
35	भगवानसिंह पिता कैसरसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	21/1 36/5 121/3 33/3 42/4/1 42/7	0.272 0.036 0.135 0.020 0.034 0.253	0.251 0.036 0.135 0.020 0.034 0.253	
	योग	6		0.750	0.729
36	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/6 33/1 36/3 42/1 121/2	0.125 0.030 0.059 0.601 0.101	0.125 0.030 0.059 0.601 0.101	
	योग	5		0.916	0.916

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	आजूत की जाति पाली भूमि का एकांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
37	बीरम आ. लक्ष्मण जाति सुतार नि ग्राम भूस्वामी	113	0.065	0.012	
	योग	1	0.065	0.012	
38	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	29/1/1 42/3/2 42/4/2 30/3,31/3	0.084 0.116 0.198 0.075	0.084 0.116 0.198 0.075	
	योग	4	0.473	0.473	
39	भवानीसिंह पिता जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	6/1 20/5 36/2 21/7	0.259 0.131 0.065 0.140	0.139 0.131 0.065 0.140	
	योग	4	0.595	0.475	
40	बद्रीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	19/2 8/3 44/6 50/5 51/3 119/2 14/2	0.143 0.012 0.012 0.018 0.346 0.108 0.121	0.143 0.012 0.012 0.018 0.346 0.108 0.121	
	योग	7	0.760	0.760	
41	मांगीलाल पिता जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	25/3 6/2/1 20/3 6/3/1	0.385 0.144 0.130 0.129	0.385 0.072 0.130 0.025	
	योग	4	0.788	0.612	
42	भैरसिंह पिता जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	18/1 16	0.303 0.227	0.303 0.227	
	योग	2	0.530	0.530	
43	मांगीलाल शिवसिंह भौनेसिंह दुलेसिंह आ जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	7	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
44	गोकुल पिता भवरलाल हि.1/5, लालजी पिता भवरलाल हि. 1/5 , धापबाई बेवा भवरलाल हि.1/5, हिन्दुसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5, नारायणसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5 सर्वजाति सौन्ध्या निग्राम भूस्वामी	37/2 37/3	0.161 0.161	0.161 0.161	
	योग	2	0.322	0.322	
45	दरियावसिंह फुलसिंह पिता प्रेमसिंह, सुंदरबाई बेवा प्रेमसिंह हि. 1/3 जाति सौन्ध्या निग्राम भूस्वामी	48/1/1 49/1 50/4 51/1	0.041 0.342 0.042 0.071	0.041 0.342 0.042 0.071	
	योग	4	0.496	0.496	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अपेक्षित काली भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
46	फूलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	119/4	0.213	0.213	
	योग	1	0.213	0.213	
47	कालूसिंह पिता भंवरलाल 3/4, गीता पुत्री भंवरलाल 1/4 सौध्या निग्राम भूस्वामी	123/4	0.900	0.900	
	योग	1	0.900	0.900	
48	रुगनाथ पिता माधू जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	123/5	0.075	0.075	
	योग	1	0.075	0.075	
49	कालूसिंह पिता मोहनलाल 1/2, जसवंतसिंह पिता मोहनलाल सौ 1/2 निग्राम भूस्वामी	32/4	0.036	0.036	
		123/9	0.187	0.187	
	योग	2	0.223	0.223	
50	हिंदुसिंह पिता गंगराम जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	129/2/1	0.253	0.101	
	योग	1	0.253	0.101	
51	प्रभु पिता फतेहसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	13/2	0.114	0.114	
	योग	1	0.114	0.114	
52	जशवंतसिंह पिता जगनाथसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/3	0.530	0.530	
	योग	1	0.530	0.530	
53	नोरंगबाई पति देवसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	127/1/8/2	0.237	0.237	
	योग	1	0.237	0.237	
	कुलयोग	178	36.384	33.675	

(2) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम लिम्बोदा की निजी भूमि प्रभावित होने से भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम—लिम्बोदा

1	पीरु पिता रतनलाल जाति सौ नि कोडक्या भूस्वामी	6/4	0.720	0.351	
	योग	1	0.720	0.351	
2	पूरसिंह बनेसिंह धूलीबाई पिता भेरु जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	8/1	0.006	0.006	
		7/1/2	0.301	0.301	
	योग	2	0.307	0.307	
3	बनेसिंह आ. भेरु जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	7/2	1.270	1.270	
		8/2	0.006	0.006	
	योग	2	1.276	1.276	
4	भंवरलाल प्रतापसिंह करणसिंह भारतसिंह पिता कालूसिंह बालूसिंह लखनसिंह होकमबाई अयोध्याबाई पिता हिंदुसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	10/2	0.700	0.700	
		10/7	0.164	0.164	
		68/2/2	0.182	0.182	
		69/3	0.101	0.101	
	योग	4	1.147	1.147	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
5	हरिसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	10/3 10/5 68/2/1 69/2	0.070 0.164 0.182 0.102	0.070 0.164 0.182 0.102	
	योग	4	0.518	0.518	
6	सुनील ना बा सा माता शांताबाई पति तरवरसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	20/2	0.506	0.506	
	योग	1	0.506	0.506	
7	हरिसिंह पिता भवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	35/4 33/2	0.182 0.070	0.051 0.034	
	योग	2	0.252	0.085	
8	नारायणसिंह पिता भवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/3	0.113	0.113	
	योग	1	0.113	0.113	
9	तरवरसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	20/1	0.658	0.658	
	योग	1	0.658	0.658	
10	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल, मोहनलाल पिता रुगनाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	33/1 35/1 12/1/3 13/1/3 64/3	0.139 0.363 0.083 0.221 0.113	0.034 0.101 0.083 0.221 0.113	
	योग	5	0.919	0.552	
11	शिवसिंह आ. भवरजी जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	11 14	0.441 0.101	0.441 0.101	
	योग	2	0.542	0.542	
12	शिवसिंह आ. भवरलाल सौ निग्राम भूस्वामी	18/2	0.126	0.126	
	योग	1	0.126	0.126	
13	शिवसिंह आ. धीसा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	12/1/2 13/1/2 33/3 35/2 64/2	0.042 0.111 0.070 0.363 0.057	0.042 0.111 0.034 0.101 0.057	
	योग	5	0.643	0.345	
14	हरिसिंह पिता बापूलाल सौ. निग्राम भूस्वामी	30 7/1/1	0.607 0.970	0.051 0.970	
	योग	2	1.577	1.021	
15	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	26/1 12/2 13/2 14/2 15/2/1	0.426 0.101 0.152 0.250 0.051	0.426 0.101 0.152 0.250 0.051	
	योग	5	0.980	0.980	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अजित की जाति वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
16	धापूबाई पति गेंदालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	24/1 22/1/2 24/2 24/3 26/3	0.228 0.411 0.228 0.228 0.142	0.228 0.411 0.228 0.228 0.142	
17	रामेश्वर विजयसिंह पिता अमरसिंह मु धापूबाई बैवा अमरसिंह सौ. निग्राम भूस्वामी	27 23	0.607 0.138	0.607 0.138	
18	रेशमबाई पति सजनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	22/1/1	0.412	0.412	
19	जगन्नाथ आ. गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	60/1 67/5	0.188 0.127	0.188 0.127	
20	नाथूलाल नारायणसिंह मोहनलाल पिता कंवरलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	54/1/1	0.130	0.033	
21	धुलाबाई बैवा हिरालाल, लालजी पिता हिरालाल सौ निग्राम	26/2	0.545	0.545	
22	रतनलाल पिता मांगीलाल सौ. निग्राम भूस्वामी	48/1	0.367	0.120	
23	मनोहरसिंह इंदरसिंह बीरमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	29	0.749	0.265	
24	विनयसिंह नरभेसिंह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पिता हीरालाल जगनाथ रामचंद्र पिता गुलाब कुमेरसिंह पिता मांगीलाल शिवसिंह नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	34 10/4	0.709 0.702	0.125 0.702	
25	विनयसिंह आ. हीरालाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	21 22/2	0.555 0.253	0.555 0.253	
26	विनयसिंह नरभेसिंह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पुत्री हीरालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	18/1 60/2	0.726 0.253	0.726 0.253	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	वासित की जाने वाली भूमि का रकमा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
27	बनेसिंह नरभैसिंह गौदालाल आ. हीरालाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	19	0.304	0.304	
	योग	1	0.304	0.304	
28	बीरमसिंह पिता शिवसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	15/3	0.250	0.250	
	योग	1	0.250	0.250	
29	हिंदुसिंह आ. रूपसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	76/1	0.206	0.051	
	योग	1	0.206	0.051	
30	बेवा भवरलाल हि. 25 पेसे हिरालाल आ. बदन जगनाथ रामचंद्र आ गुलाब मु दरियावबाई बेवा गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	65	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
31	मोतीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	69/1	0.101	0.101	
		10/1	0.070	0.070	
		10/6	0.164	0.164	
		68/2/3	0.183	0.183	
	योग	4	0.518	0.518	
32	रामचंद्र पिता गुलाब जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/4	0.366	0.366	
		67/6	0.114	0.114	
	योग	2	0.480	0.480	
33	अनारसिंह आ पूरा जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	68/1	0.251	0.251	
		66	0.368	0.368	
	योग	2	0.619	0.619	
34	पुरीबाई पति विनयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/1	0.114	0.114	
		67/2	0.126	0.126	
		67/3	0.114	0.114	
		67/4	0.114	0.114	
	योग	4	0.468	0.468	
35	मांगीलाल पिता धीसा बीरम पिता कालू अ.पा. कर्ता धीरपसिंह आ. कालू रोडीबाई प्रेमबाई आ. कालु चमार नि ग्राम भूस्वामी	6/19	1.011	1.011	
	योग	1	1.011	1.011	
36	रोडजी पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	16/1	0.146	0.146	
		36/1	0.205	0.031	
		63/1	0.180	0.180	
		14/1	0.167	0.167	
		17/2	0.266	0.266	
		15/2	0.080	0.080	
	योग	6	1.044	0.870	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	आर्जत की जान वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
37	पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	12/1/1	0.041	0.041	
		13/1/1	0.111	0.111	
		64/1	0.057	0.057	
		35/3	0.181	0.051	
	योग	4	0.390	0.260	
38	रोडसिंह मदनसिंह बलवंतसिंह सुरेनद्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	61	0.012	0.012	
		62	0.024	0.024	
	योग	2	0.036	0.036	
39	झानेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह चौहान जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	56	3.379	0.350	
	योग	1	3.379	0.350	
40	मदनसिंह पिता रामलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	55/2	0.165	0.122	
		36/2	0.205	0.031	
		63/2	0.180	0.180	
		16/2	0.146	0.146	
	योग	4	0.696	0.479	
41	मांगीलाल पिता बीरमसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	55/3	0.165	0.122	
		63/3	0.181	0.181	
		16/3	0.145	0.145	
	योग	3	0.491	0.448	
42	सुरेन्द्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	55/4	0.165	0.122	
		63/4	0.180	0.180	
		16/4	0.146	0.146	
		36/4	0.206	0.031	
	योग	4	0.697	0.479	
43	नारायणसिंह पिता कंवरलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	54/1/2	0.129	0.033	
	योग	1	0.129	0.033	
44	मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	54/1/3	0.129	0.033	
	योग	1	0.129	0.033	
45	कालूसिंह पिता धीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी	54/2	0.388	0.101	
	योग	1	0.388	0.101	
46	बीरम पिता धीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी	54/3	0.389	0.101	
	योग	1	0.389	0.101	
47	बीरमसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह, केसरबाई बेवा उदयसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	72/3	0.884	0.884	
	योग	1	0.884	0.884	
48	उरमीलालबाई पति छोटूलाल जाति अ.जा. निग्राम भूस्वामी	6/9	2.000	0.460	
	योग	1	2.000	0.460	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	आजीवन की जाने वाली भूमि का उत्तम रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
49	अनोखबाई बेवा मोतीलाल, हेमराज ना.बा. स. महेश ना.बा.स. माता अनोखबाई जाति सौन्या निग्राम भूस्वामी	105/3	1.225	1.225	
	योग	1	1.225	1.225	
50	परथीसिंह पिता रूपसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/1	0.120	0.040	
	योग	1	0.120	0.040	
51	धीरपसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/2	0.120	0.040	
	योग	1	0.120	0.040	
52	प्रतापसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/3	0.121	0.040	
	योग	1	0.121	0.040	
53	बलवंतसिंह पिता रामलाल जाति सौ निग्राम भूस्वामी	36/3	0.205	0.031	
	योग	1	0.205	0.031	
	कुलयोग	110	34.305	24.448	

(3) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडकी की निजी भूमि प्रभावित होने से भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम-कोडकी

1	हीरालाल देवसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	68	0.138	0.138	
	योग	1	0.138	0.138	
2	कालुसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/1	0.381	0.101	
	योग	1	0.381	0.101	
3	जतनबाई बेवा विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	66	1.708	0.450	
		59	0.291	0.101	
	योग	2	1.999	0.551	
4	छीतरसिंह आ मोती हि 1/2 धुली पति भैरू हि 1/2 सौ नि ग्राम भूस्वामी	58	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
5	घीसालाल पिता परथी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	57	0.482	0.061	
	योग	1	0.482	0.061	
6	भवरलाल आ. मांगीलाल बापूलाल आ. लक्ष्मण रतनबाई शैतानबाई पुत्री लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	56	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
7	भवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	65	0.518	0.518	
	योग	1	0.518	0.518	
8	भगवानसिंह दत्तक जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	51	0.470	0.210	
	योग	1	0.470	0.210	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	आजित का जान वाली भूमि का रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
9	नारायणसिंह पिता अनारसिंह मु. दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	69/1 49/2	0.367 0.117	0.121 0.117	
	योग	2	0.484	0.238	
10	नारायणसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	60/1 60 61/1 62/1 50	0.273	0.110	
	योग	5	0.445	0.211	
11	रतनलाल पिता अनारसिंह मु. दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	49/1 46/2	0.117 0.024	0.117 0.024	
	योग	2	0.141	0.141	
12	रतनलाल नारायणसिंह देवसिंह हीरलाल पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	48	0.012	0.012	
	योग	1	0.012	0.012	
13	रामबाबू गोविंद सुनीता पिता कालीबाई बरेमन पिता विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	47	0.077	0.077	
	योग	1	0.077	0.077	
14	ब्रजमोहन पिता गंगाराम ना बा पा क माता गंगाबाई बेवा गंगाराम मु. गंगाबाई बेवा गंगाराम सौ. नि ग्राम भूस्वामी	46/1 55 54 52	0.025 0.202 0.036 0.065	0.025 0.101 0.036 0.065	
	योग	4	0.328	0.227	
15	बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रुग्नाथ रतनबाई बेवा रुग्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	53/1	0.122	0.122	
	योग	2	0.122	0.122	
16	देवसिंह पिता अनारसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/2	0.256	0.101	
	योग	1	0.256	0.101	
17	हीरलाल पिता अनारसिंह हि. 3/4, दरियावबाई बेवा अनारसिंह हि. 1/4 सौ नि ग्राम भूस्वामी	49/4	0.118	0.118	
	योग	1	0.118	0.118	
18	धीरपसिंह पिता धीसालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/5	0.381	0.017	
	योग	1	0.381	0.017	
19	दरियावबाई बेवा अनारसिंह सौ. नि ग्राम हि. 1/4 देवसिंह पिता अनारसिंह हि. 3/4 भूस्वामी	49/3	0.118	0.118	
	योग	1	0.118	0.118	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
20	बीरसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह हि. 1/3, केसरबाई बेवा उदयसिंह हि. 1/3 जाति सौ. नि ग्राम कोडक्या भूस्वामी	53/2	0.123	0.123	
21	कालूसिंह, जसवंतसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/3, धापूबाई पिता मोहनलाल हि. 1/3 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	53/3	0.123	0.123	
	योग	1	0.123	0.123	
	कुलयोग	32	6.764	3.255	
	महायोग	320	77.953	61.378	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जित अधिकारी खिलाड़ीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 998-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 18 जून 2020

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईका उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम भानगढ़ तहसील देवास जिला देवास में कुल 1.820 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 1.820 हे. भूमि है, जो ग्राम भानगढ़ तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	सर्व क्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं		
						उ	द	पू
1	36	निजी भूमि	सिंचित	1.470	शिवजीराम, बाबूलाल, सालगराम, मोतीलाल, घनश्याम पिता हजारीलाल, सूरजमल पिता			
			असिंचित	0.350	काशीराम, सुगन रामकला, आनंदा, पिता काशीराम, सुगन, गंगाबाई, लंका पिता हजारीलाल, मोहन, केदार, किशोर, कांतिलाल, रामदयाल पिता सीताराम, कमलाबाई वि.सीताराम, जाति खाती, रमेश पिता कालू सुमित्रा, शांता, पिता सीताराम, मुरारीलाल पिता गिरधारीलाल, संपतबाई पिता बद्रीलाल जाति खाती, सोरमबाई वि. मदनलाल, बालमुकुन्द पिता रामचंद्र, देवबाई पिता रामचंद्र, प्रहलाद पिता राजाराम, सुरेश, संगीता, तारा, अनिता पिता श्रीराम, गेंदालाल, रामचरण, रामबक्ष पिता बापू, रामकन्या बाई मानीबाई पिता बापू, कमलाबाई पिता गोविंद, जाति खाती, बनेसिंह पिता आत्मराम, राधेश्याम, अमीन, लीलाबाई, कुन्ताबाई, पवित्राबाई, मुगलबाई पिता अम्बाराम।			
			योग	1.820				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
—	—

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समूचित सरकार.